



फद अहकाम
 अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
 श्रीमती शशी वर्गैरा बनाम श्रीमती सरोज वर्गैरा
 अपील इंतकाल प्रकरण सं० ७३ सन् २०११

ता० हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
20-12-11	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। रेस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। स्थान प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। रेस्पोंडेन्टस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12-1-12 तक विवादग्रस्त आराजी को रहन बैय नहीं करें। पत्रावली दिनांक 12-1-12 को पेश हो।</p>	
12/1/12	<p>अपील फिलॉसोफी अर्द्ध (अनुच्छेद 14) के अन्तर्गत अर्द्ध की अपील की जा रही है। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। रेस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। स्थान प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। रेस्पोंडेन्टस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12-1-12 तक विवादग्रस्त आराजी को रहन बैय नहीं करें। पत्रावली दिनांक 12-1-12 को पेश हो।</p>	<p>१४१०-१६ २३/१/११</p>
३०-१-१२	<p>आवेदन के अन्तर्गत अर्द्ध (अनुच्छेद 14) के अन्तर्गत अर्द्ध की अपील की जा रही है। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। रेस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। स्थान प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। रेस्पोंडेन्टस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12-1-12 तक विवादग्रस्त आराजी को रहन बैय नहीं करें। पत्रावली दिनांक 12-1-12 को पेश हो।</p>	
२२-२-१२	<p>आवेदन के अन्तर्गत अर्द्ध (अनुच्छेद 14) के अन्तर्गत अर्द्ध की अपील की जा रही है। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। रेस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। स्थान प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। रेस्पोंडेन्टस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12-1-12 तक विवादग्रस्त आराजी को रहन बैय नहीं करें। पत्रावली दिनांक 12-1-12 को पेश हो।</p>	

26.06.15

पीठाधीन अधिकारी अथवा कर्मचारी का कार्य में व्यस्त हो। पत्रावली में अभिलेखित उल्लिखित है। पत्रावली दिनांक 5.05.15 को पेश हो।

5.5.15

आमंत्रण/पत्र उच्च पक्ष अपील अपीलार्थ के आवेदन/रैस्यो. 4 से 8 के सम्मन तलवाना पेश करे, पेश होने पर जारी है। पत्रावली दिनांक 10.06.15 को पेश है।

10.06.15

आमंत्रण/पत्र उच्च पक्ष अपील अपीलार्थ के आवेदन/रैस्यो. सं. 4 से 8 के सम्मन तलवाना पेश नहीं किया। अपीलार्थ के आवेदन/रैस्यो. को सम्मन तलवाना पेश करने हेतु आदेश मौका दिया जाता है। पत्रावली पत्रावली पेश करने सम्मन तलवाना दिनांक 26.06.15 को पेश है।

26.6.15

अपीलार्थ के Adl. को रूक-रूक कर, बार-बार आवाजें लगाई गईं, लेकिन अपीलार्थ के Adl. उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि रैस्यो सं. 4 से 8 को तलबी में प्रकरण दिनांक 9.10.15 से लेबित चल रहा है। सम्मन तलवाना पेश करने के लिए अनेकों उम्मीद रखे गये, लेकिन आदिनांक तक सम्मन तलवाना पेश नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अद्वैत हाजरी, अद्वैत परवी उपदेवत में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अद्वैत न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली के साथ सुमार को आकर बाद तकसीय दायित्व दफ्तरी आदेश सुनाया गया।



जिला कलक्टर (प्रयागराज) 26/6/15